कारीगरों और शिल्पकारों को नये अवसर दे रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्माओं को कौशल प्रमाण पत्र एवं अन्य लाभ वितरित किये।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रथम वर्षगांठ पर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा शुक्रवार को वर्धा, महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम से आईटीआई जयपुर से योजना अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी वर्चुवली जुड़े।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में उक्त कार्यक्रम जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। दिया कुमारी ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि हुनरमंद कलाकार लोग एक साल पहले यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके उत्थान के बारे में कोई सोचता है। किन्तु दूरदृष्टि और संवेदनशीलता के धनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शानदार विजन के अनुसार आज से एक साल पहले ऐसे हाथ से काम करने कारीगरों और कलाकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया।

दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन अनुसार इस योजना की शानदार सफलता का एक साल पूरा होना गर्व का विषय है। 18 पारम्परिक कलाओं से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। यह समारोह इस योजना की सफलता की कहानी बता रहा है। हाथ के कारीगरों, हुनरमंद कलाकारों के लिए योजना वरदान साबित हो रही है। छोटे स्तर पर काम करने वाले इन कारीगरों एवं शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण मिल रहा है, कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और टूलकिट खरीदने के लिए ई-वाउचर दिए जा रहे हैं।

उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच "हुनर से होगा देश का नवनिर्माण" इस योजना के माध्यम से साकार हो रही है। यह एक ऐसी योजना है जिससे हुनरमंद हाथ के कारीगरों को, कलाकारों को एक बार ही नहीं अपितु बार-बार लाभ होगा। प्रधानमंत्री "वोकल फोर लोकल" की सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हुनर मंद लोगों को योजना की जानकारी दी जाए, ताकि वो इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकें और आगे बढ़ सकें। योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। दिया कुमारी ने कहा कि मुझे खुशी हैं कि इस योजना से पुरुष कारीगर लोगों के साथ ही महिला कारीगर भी जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज आरआईसी परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में मुझे महिला कारीगरों और हस्त शिल्पियों की संख्या ज्यादा दिखी हैं। यह इस योजना से महिला उत्थान का भी एक अच्छा उदाहरण है। योजना से महिला कलाकारों को भी लाभ हो रहा हैं, वे आगे बढ़ रही हैं यह बहुत शानदार और प्रसन्नता की बात है। इस अवसर पर जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य विरासत भी विकास भी है। सांसद ने कहा कि माल बनाने में मदद करने के बाद उस माल को बेचने का अवसर दिया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट किया जाता है। समाज में आसपास वालों को इस योजना से जुड़ने के लिए योजना की जानकारी दी जावें। उन्होंने कहा कि इस योजना खुद जाने और दूसरों को इसकी जानकारी देवें। उन्होंने कहा कि हुनर से होगा देश का नवनिर्माण।

इस अवसर पर कारीगरों और शिल्पियों को एक लाख रूपये के ऋण के चेक वितरित किये गए।

इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री, सांसद एवं विधायक तथा अन्य व्यक्तियों के आगमन के पश्चात उनका अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि दिया कुमारी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

वर्धा से पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग हुई। विश्वकर्माओं को कौशल प्रमाण पत्र एवं अन्य लाभ वितरित किये गये। विश्वकर्मा लाभार्थियो का समूह फोटो लिया गया।

इस अवसर पर आयुक्त कौशल, रोजगार और उद्यिमता विभाग, राजस्थान सरकार ह्रदेश कुमार शर्मा, एस.एस. नायक, एन.के. गुप्ता अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड एवं अन्य जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, साथ ही कार्यक्रम में विश्वकर्मा योजना के लगभग 200 प्रशिक्षु/लाभार्थी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह ने मुलाकात की। शर्मा से लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की यह शिष्टाचार भेंट थी।

भजनलाल शर्मा से ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने की मुलाकात

■ 'राइजिंग राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट' में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग ने मुलाकात की। इस दौरान शर्मा ने हिकलिंग से आगामी 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट' में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के अवसरों, आर्थिक विकास की संभावनाओं तथा प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के साथ जानकारी साझा की।

हिकलिंग ने मुख्यमंत्री को सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को 'राइजिंग राजस्थान किट' भेंट की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

नाहरगढ़ की पहाडियों से लापता हुए युवक की तलाश के प्रयासों की दी जानकारी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से नाहरगढ़ की पहाडियों से गत 1 सितंबर को लापता हुए राहुल की तलाश के प्रयासों की जानकारी दी। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश स्टेट्स रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश लापता युवक के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान डीसीपी राशि डोगरा और एसीपी बजरंग सिंह सहित अन्य स्थानीय पुलिस अधिकारी पेश हुए। इस दौरान पुलिस की ओर से अदालत को लापता की तलाश में उठाए गए कदमों की रोजाना के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया की शुरूआत में करीब तीन सौ लोगों की सहायता से राहुल की तलाश की गई। वहीं बाद में ड्रोन, डॉग स्क्वायड की भी सहायता ली गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसआईटी का गठन भी किया गया। वहीं वेदांता कंपनी से आए प्रशिक्षित लोगों ने भी अत्याधुनिक मशीन से उसकी तलाश की। इसके अलावा लापता की जानकारी बताने पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया।

पुलिस की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि युवक की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाया गया। वहीं नाहरगढ़ की पहाडियों, गहरी खाइयों, पहाड़ी से नीचे की जाने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्र में भी तलाश की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्तमान में सभी तकनीकी संसाधनों से संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। इस पर अदालत ने तलाश जारी रखते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।

अधिवक्ता गिर्राज शर्मा ने बताया कि राहुल अपने भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को चरण मंदिर घूमने की कहकर घर से निकला था। अगले दिन पुलिस को आशीष का शव पहाडियों पर मिला और राहुल अभी तक लापता चला है। वहीं उनके पिता ने राहुल को किसी की कैद में होने का अंदेशा जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

जयपुर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

जयपुर। राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी से माफी मांगें।

'डोटासरा ना भूले मर्यादा, भाजपा का जबाव भारी पड़ेगा'

जयपुर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के भाजपा नेताओं के राजस्थान में प्रवेश को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेसी नेताओं को मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत बनती जा रही है कि बेवजह की बयानबाजी करो और फिर माहौल खराब करो और अपने आलाकमान को खुश करो ताकि कुर्सी बची रहे। उन्होंने कहा कि गोविंद डोटासरा ने जिन केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बयान दिया है उनके दादाजी बेअंत सिंह की शहादत को भूल कर केवल गांधी परिवार की चापलूसी के लिए बयान वीर बनते है। गोठवाल ने कहा कि राजस्थान अपनी समृद्ध राजनैतिक परंपरा के लिए जाना जाता है परंतु ऐसे लगता है डोटासरा ने जिस तरह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनते हुए अपने ही नेता सचिन पायलट की बेकद्री की थी उसका मानसिक असर अब भी है।

कर्मचारियों की वरिष्ठता मेरिट के बजाए नियुक्ति तिथि से तय करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही भर्ती में विभिन्न जिलों में नियुक्त विलेज लेवल ऑफिसरों की वरिष्ठता मेरिट के बजाए उनकी नियुक्ति तिथि और स्थायीकरण से करने से जुडे मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, पंचायती राज निदेशक और धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब तलब किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि वर्ष 1999 में जिलेवार विलेज लेवल ऑफिसर भर्ती निकाली गई थी। जिसकी लिखित परीक्षा एक समान प्रश्न पत्र के जरिए ही एक समय पर आयोजित की गई थी। वहीं संबंधित जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर अलग-अलग समय पर चयनितों को इस पद पर नियुक्ति दी। जिसके तहत याचिकाकर्ता धौलपुर जिले में नियुक्त हुआ। याचिका में कहा गया कि पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के तहत विलेज लेवल ऑफिसर पद की वरिष्ठता सूची संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति व स्थाईकरण की तिथि से करना तय किया गया। याचिका में इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में सभी अभ्यर्थियों की भर्ती एक समय पर और एक समान प्रश्न पत्र के जरिए हुई थी। हालांकि प्रशासनिक कारणों के कारण कई जिलों ने सफल अभ्यर्थियों को देरी से नियुक्ति दी। याचिका में नियम 285 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया कि इस नियम के तहत जिस जिले में पहले नियुक्ति हो जाती है, वहां का विलेज ऑफिसर देरी से नियुक्ति देने वाले जिले के ऑफिसर से सीनियर हो जाता है। जबकि वरिष्ठता का निर्धारण ऑफिसर की आपसी मेरिट के आधार पर होना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता से कम मेरिट वाले कर्मचारी अपनी नियुक्ति तिथि के आधार पर पदोन्नत हो चुके हैं।

नियुक्ति पत्र जारी क्यों नहीं किए?

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियुक्ति के बाद में भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने कहा ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जिनमें नियुक्ति के बाद गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। वहीं मामले में सरकारी वकील भी अदालत को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में कॉलेज शिक्षा आयुक्त 27 सितंबर तक शपथ पत्र दायर कर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें।

मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

जयपुर। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के मामले में एसीबी की ओर से गत वर्ष 6 अगस्त को दर्ज एफआईआर को हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ शनिवार को सुनवाई करेगी। याचिका में राज्य सरकार और मामले के शिकायतकर्ता सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाकर गुहार की गई है कि एसीबी की इस एफआईआर को रद्द किया जाए।

याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि इस मामले में एसीबी याचिकाकर्ता से कोई भी डिमांड साबित करने में विफल रही है। एसीबी ने यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से कैसे डिमांड की और एसीबी ने उसका सत्यापन कैसे किया। इसके अलावा याचिकाकर्ता से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। वहीं मामले में दर्ज एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका होने के संबंध में कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में एसीबी की एफआईआर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जरूरी शर्तों डिमांड व रिकवरी को ही सत्यापित नहीं करती है। इस संबंध में पूर्व में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाए थे, यदि साक्ष्य होते तो उसके खिलाफ उसी समय कार्रवाई हो जाती। याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और एफआईआर दुर्भावना के चलते दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि एसीबी ने मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को नगर निगम से पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मुनेश को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

वहीं बाद में सरकार ने निलंबन आदेश वापस ले लिया था। राज्य सरकार ने जांच के बाद मुनेश को पुनः निलंबित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2023 में निलंबन को रद्द कर दिया था। वहीं गत दिनों एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मुनेश और उसके पति सुशील सहित दो अन्य के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा

उप मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर/परियोजना/जयपुर भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से खुली निविदा सं. एस एण्ड टी-प्रोजेक्ट जेपी 2024-25-02 जिसकी बंद होने की तिथि 11.10.2024 समय 15:00 बजे तक का ऑन लाईन ई-टेण्डर आंमत्रित किया जाता है। कोई भी मैनयुअल टेण्डर संबंध में स्वीकार नहीं किया जावेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है उसको देखा नहीं जावेगा। **कार्य का नाम एवं लोकेशनः** उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मण्डल, अजमेर मण्डल और जोधपुर मण्डल में एलटीई/यूएचएफ और टीसीएएस कार्य के सम्बध में लेटीस टावरों को लगाने का प्रावधान, **अनुमानित लागतः** रूपये 1415733909.00, **धरोहर राशि रूपयेः** रूपये 7228700.00, **टेण्डर जमा करने की अंतिम तारीखः** 11.10.2024 सांयः 15:00 बजे, **वेबसाईट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशनः** www.ireps.gov.in or उप मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर/परियोजना/जयपुर ऑफिस। 1091-PS/24

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय प्रिंटिंग प्रेस एंड स्टेशनरी गबन प्रकरण स्थान जयपुर महानगर, द्वितीय विरुद्ध सुरेश कुमार बनाम आबिद कुरैशी वाद/प्रार्थना पत्र क्लेम NCV 181/22
प्रार्थना-पत्र संख्या 190/22 सन्
नाम आबिद उर्फ आबिद कुरैशी पुत्र इस्लाम कुरैशी जाति मुस्लिम पता प्लांट 409, कच्ची बस्ती टीला नं. 1ए, जवाहर नगर जयपुर उक्त क्लेमेन्ट ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 27 माह 09 सन 24 को 10.30 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 05 माह 9 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वरिष्ठ मुन्सरिम
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण जयपुर जिला जयपुर
मोहर अदालत

आम सूचना यह है कि मेरा अभिभाष्य फसीहउद्दीन के द्वारा क्रयशुद्वा प्लाट नं.153 संजय नगर सी झोटवाडा जयपुर "पूर्वी भाग" का रजिस्टर्ड मूल विक्रय पत्र दिनांक 09/04/2012 क्रयशुद्वा एवम् "पश्चिमी भाग" रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/01/2012 का दस्तावेजात मेरे अभिभाष्य से कही गुम हो गये है। काफी तलाश करने पर भी प्राप्त नही हुए है किसी को भी मिले मुझे सूचित करे।
MOHAMMAD SALIM, ADVOCATE
Mob-9414248870

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक : एफ.55 () वि. जोन/न.नि.ज.(ई)/2024/1828 दिनांक : 20.09.2024
सार्वजनिक सूचना भूखण्ड संख्या 91, वृन्दावन कॉलोनी, सत्यनगर रोड, झोटवाड़ा (शिल्पाचार्य गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल को क्षेत्रफल 294.62 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती राजकुमारी ताम्बी पत्नी श्री शीतल ताम्बी व श्री हर्षवर्धन पुत्र श्री रामचन्द्र राठी द्वारा उक्त मूल भूखण्ड के पश्चिमि भाग भू. सं. 91 सी क्षेत्रफल 90.62 वर्गगज, मध्यभाग भू. सं. 91 बी क्षेत्रफल 93 वर्गगज का उप विभाजन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के उप विभाजन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार उप विभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे मुवक्किल ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गेंदालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 10 पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतला- बहरोड, राजस्थान के रहने वाले है। जिनके पुत्र अरविंद शर्मा व पुत्रवधू पूजा शर्मा आए दिन मेरे मुवक्किल व उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करते है, कहना नहीं मानते है, मन में आए जो करते है, घर का माहौल खराब कर रखा है। काफी समझाने के बाद भी नहीं मान रहे है। उनके इस वर्ताव के कारण मेरे मुवक्किल की मान प्रतिष्ठा धूमिल होती जा रही है तथा मेरा मुवक्किल व उनकी पत्नी काफी परेशान हैं और परेशान होकर मेरे मुवक्किल द्वारा अपने पुत्र अरविंद शर्मा व पुत्रवधू पूजा शर्मा को अपने मकान चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल किया जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों, लेनदेन से मेरे मुवक्किल व पत्नी का कोई लेना देना ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेरे मुवक्किल के पुत्र व पुत्रवधु से कोई लेनदेन करता है तो स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
दिनांक:20/9/24 चेतराम पुजारी, एडवोकेट, कोटपूतली

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम,प्रताप नगर, जयपुर
क्रमाक: 3895 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक: 12.09.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में **आवास सख्या: 35/56 (MIG-A), (ऐरिया 90.000 वर्गमीटर)** प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री जयरामदास कालड़ा पुत्र री गंगादास कालड़ा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 949 दिनांक 30.06.1997 को जारी किया गया। तत्पश्चात आवास का नियमित-करण श्रीमती कोमल मदनानी पत्नी श्री सुनील कुमार मदनानी के नाम पत्र क्रमांक 356/3620 दिनांक 22.08.2006 के द्वारा इनके नाम किया जाकर इनके पक्ष में पंजीकृत प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम जयपुर के यहा दिनांक 27.09.2006 को पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती कोमल मदनानी द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनांक 18.10.2006 को श्री नसीम अख्तर अली पुत्र श्री मजहर अली के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पंजीयक सगानेर- प्रथम, जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री नसीम अख्तर अली द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनांक 16.05.2024 को शेख अब्दुल मोईद पुत्र श्री शेख अब्दुल हमीद के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत् किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 07 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, **श्री शेख अब्दुल मोईद पुत्र श्री शेखअब्दुल हमीद** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत समक्ष किराया अधिकरण क्रम 2 मुकाम जयपुर महानगर (प्रथम) जयपुर श्री शनिश्चर मंदिर बनाम शंकरलाल वगै.
दावा बाबत किराया अर्जी
मुकदमा नं. 2858/14 सन्

बनाम :- 1. मोहनी देवी पत्नी स्वं. शंकरलाल मुसम्म 2. सुरेश, शेखर पुत्रान् स्व. शंकरलाल कौम ब्राह्मण साकिन निवासीयान चौकड़ी हवाली बांस परगना बदनपुरा मंडी डाकोतान बड़ा शनिश्चर मंदिर के पास जयपुर (राजस्थान)।
चूंकि अर्जीदार (वादी) ने इस अदालत में तारीख माह सन 20 को 1. श्री शनिश्चर मंदिर बनाम 2. शंकरलाल वगै. दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तुदुआ की है बजाय उसके आप 3. बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाहदेही 1. आपको तारीख 09.10.2024 माह सन को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.09.2024 सन को जारी किया गया।

आज्ञा से
न्यायालय किराया अधिकरण सं. 2 अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 5 जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर
मोहर अदालत

नाम परिवर्तन

मैं Yadvendar Singh Shekhawat S/o Narpat Singh Add-5, गोपाल विहार, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर राज. 302012 अपना नाम Yadvendar Singh Shekhawat से बदलकर Yadvendra Singh S/o Narpat Singh रख लिया है, अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैंने अपना नाम शारदा सैन से बदलकर शारदा खॉन पत्नी मोहम्मद इमरान खॉन रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता- 148, हुसैन कॉलोनी, बेनीवाल कांटा, रामगढ मोड, जयपुर।

मैंने मेरा नाम हर्षिल बूचरा से बदलकर अर्षिल जैन पुत्र रिपिन कुमार बूचरा कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे, निवासी- 158, प्रभु मार्ग, कैलाशपुरी, टोंक रोड, जयपुर (राज.)

मै आर्मी न. 15336424M धीरज कुमार पुत्र स्व. सियाराम शर्मा, पताः वलीपुर पोस्टः वलीपुर, तहसीलः पिपरिया, जिलाः लखि सराय, बिहार, पिन-811311, मेरे आर्मी के रिकार्ड में मेरी माताजी का नाम राम जानकी देवी गलत दर्ज है। मेरी माताजी का सही नाम दया रानी देवी है।

शादी पूर्व मेरा नाम शहनाज़ बरवीन पत्नी श्री मशकूर अहमद था। अब मेरा नाम शहनाज़ पत्नी श्री मशकूर अहमद हादी मंजिल 1625/26 एम.डी.रोड, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे शहनाज़ पत्नी श्री मशकूर अहमद के नाम से जाना जावे।

I, Sulochna Panjwani W/o Jaidev Meharchandani R/o 178-B, Kanwar Nagar, Chandi Ki Taksal, Jaipur, Rajasthan-302002. I have changed my name from Sulochna Panjwani to Sona Meharchandani for all future purposes.

I army no 2691674M Ex HAV Sunil singh shekhawat S/O chhitar singh shekhawat R/O H-9 Sita vihar vistar shyam nagar benad road Jaipur that have changed my mother name from BHAWAR KANWAR (DOB 1/7/1953) To BHANWAR KANWAR (DOB 1/1/1960) vide affidavit dated 17 sep 2024 before district notary Jaipur

I, Suresh Kumar S/o Lok Chand, have changed my name to Suresh Hariramani for all purposes. R/o 116 Metro Enclave, B2 Bypass Road, Sanganer, Jaipur

मै योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भरत लाल शर्मा निवासी- शिव कॉलोनी, हिंडौन सिटी जिला - करौली (राज.) सशपथ घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री वंशिका तिवारी के दस्तावेजों में पिता का नाम योगेश तिवारी दर्ज है जो गलत है। मैं उसके दस्तावेजों में सही नाम योगेश कुमार शर्मा दर्ज करवाना चाहता हूं। भविष्य में इसी नाम से जाना जावे।

मै हेमलता शर्मा पत्नी योगेश कुमार शर्मा निवासी- शिव कॉलोनी, हिंडौन सिटी जिला- करौली (राज.) सशपथ घोषणा करती हूं कि मेरी पुत्री वंशिका तिवारी के दस्तावेजों में माता का नाम अलका तिवारी दर्ज है जो गलत है। मै अपनी पुत्री के दस्तावेजों में सही नाम हेमलता शर्मा दर्ज करवाना चाहती हूं। भविष्य में इसी नाम से जाना जावे।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय ADJ-11 जयपुर महानगर, सांगानेर
हरिनगर विरूद्ध रामप्रसाद
वाद/प्रार्थना पत्र TI-37/...
प्रार्थना पत्र संख्या 390/20 सन्

नाम सायर चौधरी पुत्र शिवराम जाति जाट पता 11 रामनाथ की ढाणी वार्ड नंबर 12, भांकरोटा, सांगानेर
उक्त प्रार्थी नकल ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 09 माह 10 सन् 2024 को प्रातः 10:30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो। यह आज दिनांक 19 माह 9 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- 11, जयपुर महानगर, प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

संख्याक
विवादकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 व 5
न्यायालय ADJ 11,जयपुर महानगर, सांगानेर,
हरिनगर विरूद्ध रामप्रसाद
वाद बाबत घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 709/2020
बनाम सायर चौधरी पुत्र शिवराम जाति जाट स्थान 11 रामनाथ की ढाणी वार्ड नंबर 12, भांकरोटा, सांगानेर
वादी ने आपके विरूद्ध नकल के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारिख 9 माह 10 सन् 24 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्न